प्रेस नोट दिनांक 22.12.2025

थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 04 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त चन्दन सरोज पर थाना मानिकपुर, संग्रामगढ़, कुण्डा व महेशगंज में लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधडी, आर्म्स एक्ट व विस्फोटक अधिनियम जैसे गंभीर अपराध के 08 अभियोग पंजीकृत है-
अभियुक्त को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पनाह नगर अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 अखिलेश सिंह मय उ0नि0 अंशू सिंह सेंगर, का0 रामप्रकाश द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पनाह नगर अंडरपास के पास से 01 अभियुक्त चन्दन सरोज पुत्र रामलखन सरोज निवासी पुरमई सुल्तानपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना महेशगंज में मु0अ0सं0-279/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. चन्दन सरोज पुत्र रामलखन सरोज निवासी पुरमई सुल्तानपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त चन्दन सरोज पुत्र रामलखन सरोज निवासी पुरमई सुल्तानपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 279/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 319/2020 धारा 399/402/411/489B/489C भा0द0वि0 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 17/2021 धारा 394/411 भा0द0वि0 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 18/2021 धारा 307/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 19/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 12/2021 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0 156/2020 धारा 307/504/393 भा0द0वि0 थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

8. मु0अ0सं0 161/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 अखिलेश सिंह मय उ0नि0 अंशू सिंह सेंगर, का0 रामप्रकाश थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 अदद लोहे का रॉड बरामद।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत भडचक गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 16.11.2025 को वादी निवासी गिरगढा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ अपने ग्राम रेतही स्थित खेत पर मौजूद थे, जहाँ मिट्टी समतलीकरण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान आरोपित भास्कर प्रसाद जायसवाल, अक्षय जायसवाल व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लोहे की रॉड व अन्य वस्तुओं से प्रार्थी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई। मारपीट में प्रार्थी के पैर (दाहिना) में फ्रैक्चर हुआ तथा शरीर के अन्य अंगों पर गंभीर चोटें आईं। इस संबंध में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 252/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 324(2), 117(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह मय हमराह का0 भीमराव, का0 संदीप पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 252/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 324(2), 117(2), 109(1) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्त, 1.भाष्कर प्रसाद जायसवाल पुत्र स्व० राधेश्याम जायसवाल 2. अक्षत जायसवाल पुत्र भाष्कर जायसवाल निवासीगण ग्राम भडचक थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ को थाना क्षेत्रान्तर्गत भडचक गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अदद लोहे का रॉड बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. भाष्कर प्रसाद जायसवाल पुत्र स्व० राधेश्याम जायसवाल निवासी ग्राम भडचक थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 50 वर्ष।

2. अक्षत जायसवाल पुत्र भाष्कर जायसवाल निवासी ग्राम भडचक थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 18 वर्ष।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 02 अदद लोहे का रॉड बरामद।

पुलिस टीम- उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह मय हमराह का0 भीमराव, का0 संदीप पटेल थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

धर्म परिवर्तन के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 संतोष सिंह का0 अवधेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत मु0अ0सं0 157/2025 धारा 127(2), 351(3) बीएनएस व 3/5 (1) उ0प्र0 धर्म संपरिवर्तन अधिनियम थाना कोहंडौर प्रतापगढ में वाँछित 01 अभियुक्त .कृष्ण दत्त मिश्र उर्फ प्रिंस मिश्र पुत्र शिवपूजन मिश्र निवासी ग्राम पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ को क्षेत्रातंर्गत जिला जेल के पीछे वाली नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1.कृष्ण दत्त मिश्र उर्फ प्रिंस मिश्र पुत्र शिवपूजन मिश्र नि०ग्राम पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 28 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 संतोष सिंह का0 अवधेश यादव थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त इरशाद व शकील अहमद को थाना पट्टी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत आमापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अभिषेक सिंह सिरोही मय हमराह हे0का0 राजेश सिंह, का0 अभिषेक यादव , का0 संजय चौहान, का0 पंकज चौहान, द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 65 (2)/61(2)/253ख बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्त 1. इरशाद पुत्र नूर हसन नि० ग्राम सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष, 2. शकील अहमद पुत्र मो० इदरीश नि०ग्राम अजीत नगर वाटर पम्प नं0 04 के पास थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 41 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत आमापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. इरशाद पुत्र नूर हसन नि० ग्राम सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष ।
2. शकील अहमद पुत्र मो० इदरीश नि०ग्राम अजीत नगर वाटर पम्प नं0 04 के पास थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 41 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
प्रभारी निरीक्षक अभिषेक सिंह सिरोही मय हमराह हे0का0 राजेश सिंह, का0 अभिषेक यादव , का0 संजय चौहान, का0 पंकज चौहान , थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।